न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोगनीपुर, कानपुर देहात।

परिवाद संख्या- 1016/ 2020

शिवपाल सिंह- - - - - - - - - - - - बनाम- - - - - - - - - - **शिव नारायण सिंह आदि।**

धारा- 452, 323 भा०दं०सं०।

थाना- राजपुर, कानपुर देहात।

दिनांक- 22. 07. 2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्तगण मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 268(1) बी०एन०एस०एस० / 245(1) दं०प्र०सं० प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि परिवादी द्वारा उक्त परिवाद में 244 सी०आर०पी०सी० / 267 बी०एन०एस०एस० के तहत बयान दिया गया, जिसमें परिवादी ने अपने बयानों में कहा है कि उसके साथ अभियुक्तगण के द्वारा घर में घुसकर अथवा बाहर किसी प्रकार की मारपीट नहीं की बल्कि अभियुक्त शिवनारायण की भैस के ठोकर मार दिये जाने के कारण उसके चोट आयी थी। परिवादी के द्वारा दिये उक्त बयान के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद् किसी का कोई अपराध गठित नहीं होता है, जिससे उसे दोस सिद्ध किया जा सके और न ही कोई आरोप बनता है। इस कारण अभियुक्तगण को इस स्तर पर उक्त अपराध से उन्मोचित किया जाना न्यायहित में नितांत आवश्यक है।

परिवादी की ओर से कोई आपत्ति न होना अंकित किया गया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि परिवादी ने अन्तर्गत धारा- 244 दं०प्र०सं० में स्वयं को परीक्षित कराया व सशपथ बयान किया कि " दिनांक- 16. 07. 2020 को समय लगभग 4 बजे शाम प्रार्थी जानवरों को चारा डालने जा रहा था तभी शिवनारायण की भैंसों ने प्रार्थी के जोरदार ठोकर मार दी, जिससे प्रार्थी के कमर में चोट आ गयी। इसी बात को लेकर गांव वालों के कहने पर मैंने अभियुक्तगण शिवनारायण पुत्र दयाराम हाकिम सिंह, भूप नारायण मलखान के ऊपर घर में घुसकर मारपीट का मुकदमा माननीय न्यायालय में दाखिल किया था। जब कि भैस की ठोकर के कारण मुझे चोट आयी थी। जबकि अभियुक्तगण ने मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की थी। अब मेरा समझौता हो गया है न ही कोई साक्ष्य देना है और न ही आगे मुकदमा लड़ना है न ही घर में घुसकर मारपीट की।

धारा 245(1) दं०प्र०सं०, 1973 के तहत यह अवधारित किया गया है कि- **" अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जायेगा - (1) यदि धारा 244 दं०प्र०सं० में निर्दिष्ट सभी साक्ष्य लेने पर मजिस्ट्रेट**

Digitally signed by RAGINI MISHRA
Date: 2026.07.22 15:28:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

का उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह विचार है कि अभियुक्त के विरूद्ध ऐसा कोई मामला सिद्ध नहीं हुआ है जो अखंडित रहने पर उसकी दोषसिद्धि के लिए समुचित आधार हो तो मजिस्ट्रेट उसे उन्मोचित कर देगा।"

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर यह स्पष्ट है कि स्वंय परिवादी द्वारा अपने उपरोक्त बयान अन्तर्गत धारा- 244 दं०प्र०सं० में कथन किया गया कि दिनांक- 16. 07. 2020 को समय लगभग 4 बजे शाम परिवादी जानवरों को चारा डालने जा रहा था तभी अभियुक्त शिवनारायण की भैंसों ने परिवादी के जोरदार ठोकर मार दी, जिससे परिवादी के कमर में चोट आ गयी। इसी बात को लेकर गांव वालों के कहने पर परिवादी ने अभियुक्तगण शिवनारायण, दयाराम, हाकिम सिंह, भूप नारायण व मलखान के ऊपर घर में घुसकर मारपीट का मुकदमा माननीय न्यायालय में दाखिल किया था। जब कि भैस की ठोकर के कारण परिवादी को चोट आयी थी। जबकि अभियुक्तगण ने परिवादी के साथ घर में घुसकर कोई मारपीट नहीं की थी। इसके अतिरिक्त परिवादी द्वारा अन्तर्गत धारा- 244 दं०प्र०सं० में अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे अभियुक्तगण शिवनारायण, मलखान, भूपनारायण, दयाराम व हाकिम के विरूद्ध आरोप विरचित करने का आधार पर्याप्त हो। अतः अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा- 245(1) दं०प्र०सं०/ 268(1) बी०एन०एस०एस० स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

परिवाद सं०- 1016 सन् 2020, शिवपाल सिंह बनाम शिव नारायण, अन्तर्गत धारा- 452, 323 भा०दं०सं०, थाना- राजपुर, कानपुर देहात के प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा- 245(1) दं०प्र०सं०/ 268(1) बी०एन०एस०एस० स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण शिवनारायण, मलखान, भूपनारायण, दयाराम व हाकिम को धारा- 452, 323 भा०दं०सं० के अंतर्गत उक्त अपराध से उन्मोचित किया जाता है। जमानतनामे खण्डित किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित हो।

दिनांकः- 22. 07. 2026

(रागिनी मिश्रा)

सिविल जज (जू०डि०) / न्यायिक मजिस्ट्रेट,

भोगनीपुर, कानपुर देहात।

I.D.No.UP3386